प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानसभा को सुझाव उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I – राज्य के वित्त का अवलोकन

इस अध्याय में रिपोर्ट के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख सूचकांकों का व्यापक राजकोषीय विश्लेषण और राज्य की राजकोषीय स्थिति सम्मिलित है, जिसमें कमी/अधिशेष, ऋण प्रोफ़ाइल और प्रमुख सार्वजनिक लेखों के लेनदेन शामिल हैं।

अध्याय II – बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अध्याय III – वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

इस अध्याय में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्ड, सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों वाले प्रतिवेदनों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रेषित वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजटः राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना के लिए
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों (एम्आईएस के साथ-साथ लेखांकन)के अन्य आंकड़े
- जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकी
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन(एफआरबीएम)अधिनियम
- वित्त आयोग की सिफारिशें
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानक और दिशानिर्देश

वित्त (बजट) विभाग के सचिव के साथ 25.02.2026 को एक समापन बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार की प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

सरकारी लेखों की संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियां शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया

जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है और राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा गया है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और अंतिम समायोजन लंबित है) सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

सरकारी लेखों की संरचना